संख्या-7-2026-387-57-1099-62-2025

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2026**

विषय:- जनपद सम्भल में तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्वार हेतु भूमि क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, सम्भल के पत्र संख्या-308/डी.एल.आर.सी./2025-26, दिनांक 20.11.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद सम्भल में तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्वार हेतु चयनित 12 तीर्थ स्थलों पर चयनित 14 गाटे रकबा 2.4814 हे. भूमि क्रय किये जाने के लिए आगणित कुल धनराशि 12,94,05,840/- (रूपये बारह करोड चौरानवें लाख पाँच हजार आठ सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी, सम्भल के उक्त पत्र दिनांक 20.11.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद सम्भल में तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्वार हेतु चयनित 12 तीर्थ स्थलों पर चयनित 14 गाटे रकबा 2.4814 हे. भूमि क्रय किये जाने हेतु आगणित कुल धनराशि रू0 12,94,05,840/- (रूपये बारह करोड चौरानवें लाख पाँच हजार आठ सौ चालीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये सम्पूर्ण धनराशि रू0 12,94,05,840/- को एकमुश्त अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश दिनांक 21 नवम्बार,2017 एवं शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2021 की व्यवस्थानुसार एकमुश्त बजट व्यववस्था से धनराशि स्वीयकृति के संबंध में बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ एवं जिलाधिकारी, संभल द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) वित्तीय स्वीकृति के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का आहरण वर्तमान वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/ डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(10) जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा भूमि क्रय के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति पर सहमति जिलाधिकारी, सम्भकल द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, सम्भनल स्वयं उत्तदरदायी होंगे।

(12) जिलाधिकारी, सम्भल द्वारा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदधारक द्वारा कोषागार वाराणसी/लखनऊ से किया जायेगा। आहरण के उपरान्त धनराशि जिलाधिकारी, सम्भल को उपलब्ध करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,94,05,840 (रुपये बारह करोड़ चौरानबे लाख पाँच हजार आठ सौ चालीस मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-**084 **लेखा शीर्षक** 4250008001700 धर्मार्थ कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं हेतु **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-5-232-X-2025-26-दिनांक:19-3-2026** मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी/सम्भल/लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/सम्भल/लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0प्र0 शासन।
6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।